

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/न्या0क0वि0/ 3524/2023 दिनांक अक्टूबर, 10, 2023

::-परिपत्र-::

पीठों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की समय से कार्यालय उपस्थिति के सम्बन्ध मुख्यालय द्वारा पूर्व में परिपत्र जारी किये गये हैं परन्तु मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कतिपय पीठ कार्यालय में कर्मचारीगण समय से उपस्थित नहीं हो रहे हैं तथा कार्यालय समय से पूर्व कार्यालय छोड़ देते हैं और यह स्थिति उन पीठों में अधिक चिन्ताजनक है जिन पीठों में सदस्य का पद रिक्त है। शासन द्वारा कार्यालय में समय से उपस्थिति के सम्बन्ध में अनेकों शासनादेश जारी किये गये हैं। राजकीय कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित करने हेतु कर्मचारियों का समय से कार्यालय उपस्थित होना आवश्यक है। कर्मचारियों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करना सदस्य/प्रभारी सदस्य का उत्तरदायित्व है।

कर्मचारियों की समयबद्ध उपस्थिति के सम्बन्ध में मेरे द्वारा किसी भी पीठ का औचक निरीक्षण दूरभाष द्वारा किया जा सकता है। औचक निरीक्षण के समय कर्मचारियों के अनुपस्थित पाये जाने की स्थिति में इसका उत्तरदायित्व सदस्य/प्रभारी सदस्य का होगा और अनुपस्थित कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अतः समस्त अधिकारी व कर्मचारी समय से कार्यालय उपस्थित रहना सुनिश्चित करें तथा कार्यालय समय के पूर्व कार्यालय न छोड़ें।

ह0/10.10.2023

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।
2. निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. वरिष्ठ सहायक (विवरण), मुख्यालय को गार्ड हेतु।
4. वेब अधिकारी मुख्यालय

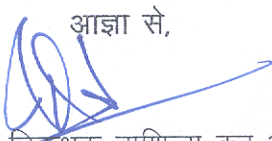
ह0/10.10.2023

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,


प्रभारी निबन्धक वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।